संख्या–1252 / सात–न्याय–2–2013–226जी / 2008

प्रेषक,

एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

लखनऊः दिनांक 23 सितम्बर, 2013

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय)

विषयः–रिट पिटीशन (सी) संख्या–1022 / 1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–08 सपठित आदेश दिनांक 15–7–2008 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के समबन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–867 / सात–न्याय–2–09–226जी / 08, दिनांक 11 मई, 2009 के अनुसार– अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के सबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी विभिन्न रांस्तुतियों के कम में अधीनस्थ न्यायालयों में कामन कैटेगरी की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को **प्रारम्भिक दर** एक वेतनवृद्धि अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07–10–2009 के अनुपालन में उक्त निर्गत शासनादेश दिनांक 11 मई, 2009 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

"शासनादेश दिनांक 11 मई, 2009 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के सबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के कम में अधीनस्थ न्यायालयों में कामन कैटेगरी श्रेणी के कर्मचारियों को **प्रारम्भिक दर** के स्थान पर **अद्यतन मूल वेतन (existing pay scale)** पर एक वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।"

3– इस प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 11 मई, 2009 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4– उपर्युक्त आदेश दिनांक 01–04–2003 से प्रभावी माने जायेंगे।

5- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के संख्या-यू0ओ0-वे0आ0-1-647/दस-13, दिनांक 29 अगस्त, 2013 में सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(एस(

प्र

संख्या-1252(1)/सात-न्याय-2-2013,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन) प्रतियों में।

4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1/2 तथा आडिट-1/2 उत्तर प्रदेश।

5- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, उच्च नई दिल्ली।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-

7- न्याय अनुभाग-9 (बजट)

8- गार्ड बुक हेतु।

9- संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा

(चन्द्र मौलि

विशेष स